कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 13.09.2026

सर्विलांस सेल एवं थाना हथगाँव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त हरियाणा से गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 07.09.2026 को आवेदक गणेशी साहू पुत्र स्व0 रामविशाल साहू निवासी वार्ड नं0-09 तेहीपारा, कस्बा व थाना हथगाँव, जनपद फतेहपुर द्वारा फेसबुक अकाउण्ट "Dhram Veer" से हुसैनगंज विधानसभा के पूर्व विधायक एवं उ0प्र0 शासन के पूर्व राज्यमंत्री श्री रण्वेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भईया के विरुद्ध सोशल मीडिया पर खुलेआम जान से मारने एवं गोली से उड़ाने की धमकी देने तथा अभद्र भाषा एवं आपत्तिजनक टिप्पणी कर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के सम्बन्ध में थाना हथगाँव पर मु0अ0सं0 170/2026, धारा 353(2)/351(2)/356(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण:- श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा सोशल मीडिया के माध्यम से अभद्र टिप्पणी, धमकी एवं जनमानस में वैमनस्य उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के मार्गदर्शन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी थरियांव के कुशल पर्यवेक्षण में थाना हथगाँव पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई। उक्त अभियोग में प्रकाश में आए अभियुक्त धर्मबीर सिंह पुत्र सूरजभान सिंह, निवासी ग्राम सिठौरा, थाना हथगाँव, जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 35 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु थाना हथगाँव पुलिस द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से लगातार तकनीकी एवं भौतिक प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 13.09.2026 को थाना हथगाँव पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से अभियुक्त धर्मबीर सिंह को निजामपुर, जनपद नरनौन, राज्य हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त धर्मबीर सिंह से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसके गांव में रास्ते एवं नाली को लेकर विवाद है तथा उसके अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं और उसके परिवार को सरकारी लाभ नहीं दिया गया है। इसी बात को लेकर आक्रोशित होकर उसके द्वारा अपने फेसबुक सोशल मीडिया अकाउण्ट **"Dhram Veer"** से पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्यमंत्री श्री रण्वेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भईया के विरुद्ध जान से मारने एवं गोली से उड़ाने की धमकी तथा अभद्र टिप्पणी की गई थी। अभियुक्त द्वारा अपनी गलती स्वीकार की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. धर्मबीर सिंह पुत्र सूरजभान सिंह निवासी ग्राम सिठौरा, थाना हथगाँव, जनपद फतेहपुर उम्र करीब 35 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक अदद मोबाइल फोन ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह, सर्विलांस सेल मय टीम
1. उ0नि0 राजन कन्नौजिया, थाना हथगाँव, जनपद फतेहपुर।
2. का0 सूरज यादव
3. म0का0 मोनिका रावत

सोशल मीडिया सेल

जनपद फतेहपुर